न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 922 / 2022

अनवान : –

1. आत्माराम पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र उदमिराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
2. हरिराम पुत्र उदमिराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
3. भगवानी पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
4. परमेश्वरी पुत्री उदमीराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
5. विद्या पुत्री उदमीराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
6. सरबती पुत्री उदमीराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
7. पूर्णाराम पुत्र कलावती जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
8. राजबाला पुत्री कलावती जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. विमला पुत्री कलावती जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
10. सिमला पुत्री कलावती जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
11. कविता पुत्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
12. सूर्यविर पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
13. ओम प्रकाश पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 44 / 3 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 5.8940 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 27833 / 58940 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 19647 / 58940 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 3 का 4093 / 29470 [illegible] प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 प्रत्येक का 409 / 29470 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या [illegible] / 8420 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 50 / 142 के खसरा [illegible] 84 / 2 की 1.2650 [illegible] भूमि में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 व 3 प्रत्येक के 7/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक के 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक के 1/72 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी 4 ता 6 जो कि वादी की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 जो कि वादी की मृतक बहिन कलावती के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी व प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 11 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता संख्या 44/3 में प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 13 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है इसी प्रकार खाता संख्या 50/142 में प्रतिवाद संख्या 4 ता 10 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 13 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र कलावती आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात पक्षकारों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:28 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी 4 ता 6 जो कि वादी की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 जो कि वादी की मृतक बहिन कलावती के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी व प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 11 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के खाता संख्या 44/3 में प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 13 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है इसी प्रकार खाता संख्या 50/142 में प्रतिवाद संख्या 4 ता 10 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 13 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 44/3 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 5.8940 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 27833/58940 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 19647/58940 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 3 का 4093/29470 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 प्रत्येक का 409/29470 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 प्रत्येक का 117/8420 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 50/142 के खसरा नं. 184/2 की 1.2650 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्रत्येक के 7/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक के 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 प्रत्येक के 1/72 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक कलावती के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 4 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 44/3 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 5.8940 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 13 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी का संख्या 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा यथावत रखा रहेगा व रोही मौजा बास नाथोवाला के खाता संख्या 50/142 के खसरा नं. 184/2 की 1.2650 है0 में प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 13 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:28 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 922/2022

अनवान : –

1. आत्माराम पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र उदमिराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
2. हरिराम पुत्र उदमिराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
3. भगवानी पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
4. परमेश्वरी पुत्री उदमीराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
5. विद्या पुत्री उदमीराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
6. सरबती पुत्री उदमीराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
7. पूर्णाराम पुत्र कलावती जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
8. राजबाला पुत्री कलावती जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. विमला पुत्री कलावती जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
10. सिमला पुत्री कलावती जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
11. कविता पुत्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
12. सूर्यविर पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
13. ओम प्रकाश पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी बास नाथोवाला तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 922 सन 2022 निर्णय दिनांक – 17/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बास नाथोवाला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 44/3 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 5.8940 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 13 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी का संख्या 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा यथावत रखा रहेगा व रोही मौजा बास नाथोवाला के खाता संख्या 50/142 के खसरा नं. 184/2 की 1.2650 है0 में प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 13 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:28 IST
Reason: SelfAttested